फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023"

छगनलाल बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न.मु.– 07/2023 GCMS No. – 2023/9

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

11.02.23

यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री छगनलाल पुत्र श्री जीवनराम जाति जाट निवासी कोलासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही कोलासर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 98 में प्रार्थी की बहिन का नाम सुखी पुत्री जीवणराम जाति जाट निवासी कोलासर खातेदार दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी की बहिन का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार सुनिता पुत्री जीवनराम है। प्रार्थी की बहिन का नाम सुनिता पुत्री जीवनराम किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही कोलासर की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 98 में सुखी पुत्री जीवणराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की बहिन का नाम सुनिता पुत्री जीवनराम है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात , प्रमाण पत्र कार्यालय ग्राम पचांयत कोलासर एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही कोलासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 98 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	**ग्राम**	**खाता संख्या**	**वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)**	**आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)**
01	कोलासर	**98 (नया)**	**सुखी पुत्री जीवनराम जाति जाट निवासी कोलासर खातेदार**	**सुनिता पुत्री जीवनराम जाति जाट निवासी कोलासर खातेदार**

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को लि[illegible]कर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.02.13 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़